

भारत सरकार  
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3126

मंगलवार, 08 अगस्त, 2023/3 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को राहत

+3126. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का सहकारी समितियों के विभिन्न कार्यों पर टीडीएस और आयकर सहित करों में कमी करके उन्हें आर्थिक दृष्टि से राहत प्रदान करने का विचार है; और  
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहकारी समितियों के लिए किन-किन कार्यों पर कर में कमी की गई है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए, हाल ही में, सरकार ने सहकारी समितियों को राहत प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं जिनमें विभिन्न गतिविधियों पर कर में कमी करना और उनके द्वारा नकद निकासी पर टीडीएस की सीमा में वृद्धि करना शामिल है

**1. सहकारी समितियों के अधिभार में कटौती**

1 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक की आय पर सहकारी समितियों का अधिभार 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। इससे सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी जो ज्यादातर ग्रामीण और कृषक समुदायों से हैं।

**2. सहकारिता के वैकल्पिक न्यूनतम कर दर में कमी**

सहकारी समितियों को 18.5% की दर से वैकल्पिक न्यूनतम कर का भुगतान करने की आवश्यकता थी। हालांकि, कंपनियों ने 15% की दर से समान भुगतान किया। सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समान अवसर प्रदान करने के लिए, सहकारी समितियों के लिए दर भी सहकारी समितियों के लिए 15% तक कम कर दी गई है।

**3. धारा 269एसटी के संबंध में स्पष्टीकरण**

धारा 269एसटी ₹ 2 लाख से अधिक की नकद प्राप्तियों से; (ए) एक दिन में किसी भी व्यक्ति से या (बी) किसी भी लेनदेन से; या (सी) एकल घटना या अवसर के संबंध में कई लेनदेन से, को प्रतिबंधित करती है। इस प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, धारा 269एसटी के उल्लंघन के लिए आयकर अधिनियम 1961 के तहत जुर्माना लगाया जाता है। अपने सदस्यों को दुग्ध मूल्य के भुगतान के लिए, दुग्ध सहकारी समितियों

को एक वितरक से वर्ष में कई दिनों में, विशेष रूप से बैंक की छुट्टियों पर, 2 लाख रुपये से अधिक की नकदी प्राप्त होती है, जिसके साथ उनका अनुबंध है। परिणामस्वरूप, आयकर विभाग द्वारा सहकारी समितियों के बीच उसके वितरक के साथ अनुबंध को एक घटना/अवसर के रूप में मानते हुए दुग्ध समितियों पर भारी जुर्माना लगाया गया था। सीबीडीटी ने दिनांक 30.12.2022 के परिपत्र संख्या 25/2022 के तहत स्पष्टीकरण जारी किया कि सहकारी समितियों के संबंध में, एक डीलरशिप / वितरण अनुबंध अपने आप में धारा 269 एसटी के खंड (सी) के उद्देश्य के लिए एक घटना या अवसर का गठन नहीं कर सकता है। सहकारी समिति द्वारा पिछले वर्ष में किसी भी दिन ऐसी डीलरशिप/वितरण अनुबंध से संबंधित प्राप्ति, जो निर्धारित सीमा में हो, पिछले वर्ष के लिए कई दिनों में एकत्रित नहीं की जा सकती है। इससे सहकारी समितियां अपने सदस्यों, जो ज्यादातर ग्रामीण और कृषक समुदायों से हैं, को आयकर दंड के डर के बिना बैंक की छुट्टियों पर भुगतान करने में सक्षम होंगी।

#### **4. नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर की रियायती दर**

31.03.2024 तक विनिर्माण गतिविधियों को शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कर दर का लाभ मिलेगा, जैसा कि वर्तमान में नई विनिर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है।

#### **5. प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा नकद ऋण/लेन-देन के लिए राहत**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269एसएस के अनुसार, नकद में ₹ 20,000 से अधिक की किसी भी जमा या ऋण की अनुमति नहीं है। उल्लंघन ऋण या जमा राशि के बराबर जुर्माना आमंत्रित कर सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसएस में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य से जमा स्वीकार किया जाता है या प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से उसके सदस्य द्वारा नकद में ऋण लिया जाता है, यदि ऐसे ऋण या जमा की राशि सहित उनकी बकाया शेष राशि ₹ 2 लाख से कम है, तो कोई दंडात्मक परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। पहले यह सीमा ₹20,000 प्रति सदस्य थी।

#### **6. प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा नकद में ऋण के पुनर्भुगतान के लिए राहत**

आयकर अधिनियम की धारा 269 टी के अनुसार, ₹ 20,000 या उससे अधिक के ऋण या नकद में जमा करने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन ऋण या जमा राशि के बराबर जुर्माना आमंत्रित कर सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 269 टी में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां प्राथमिक कृषि ऋण समिति या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अपने सदस्य को जमा राशि चुकाई जाती है या इस तरह के ऋण को प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को उसके सदस्य द्वारा नकद में चुकाया जाता है। यदि ऐसे ऋण या जमा की राशि सहित उनकी बकाया शेष राशि ₹ 2 लाख से कम है, तो कोई दंडात्मक परिणाम उत्पन्न नहीं होगा। पहले यह सीमा ₹20,000 प्रति सदस्य थी।

#### **7. टीडीएस के बिना नकदी निकालने के लिए या सहकारी समितियों के लिए सीमा को बढ़ाना**

सहकारी समितियों को नकद निकासी पर टीडीएस के लिए ₹ 3 करोड़ की उच्च सीमा प्रदान की गई है।

## **8. गन्ना खरीद के लिए खर्च की गई राशि के कारण कटौती प्रदान करके चीनी सहकारी समितियों को राहत**

वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में धारा 36 (1) (xvii) जोड़ी गई थी ताकि चीनी के निर्माण के व्यवसाय में लगी सहकारी समिति द्वारा किए गए व्यय की राशि के कारण कटौती का प्रावधान किया जा सके। यह खंड 01.04.2016 अर्थात् आकलन वर्ष 2016-17 से प्रभावी हुआ। तथापि, सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) द्वारा गन्ना मूल्य के लिए अतिरिक्त भुगतान को किसान सदस्यों को आय वितरण के रूप में मानने और परिणामी कर देनदारियों के मुद्दे को उजागर नहीं किया गया जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 25.10.2021 के परिपत्र संख्या 18/2021 द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया। तदनुसार, सीएसएम द्वारा गन्ना मूल्य के लिए अतिरिक्त भुगतान पर उन पर परिणामी कर देनदारियों को कम किया गया और आयकर अधिनियम 1961 में धारा 36 (1) (xvii) को शामिल करके उन्हें दिए गए लाभ 1.4.2016 से लागू हो गए।

## **9. चीनी सहकारी समितियों को पिछली आयकर मांग से राहत**

चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान को व्यय के रूप में दावा करने का अवसर प्रदान किया गया है। तदनुसार, 1 अप्रैल 2023 से वित्त अधिनियम, 2023 के तहत एक नई उप-धारा (19) सम्मिलित करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 155 में भी संशोधन किया गया है। अधिनियम की धारा 155 की उप-धारा (19) के तहत क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी को आवेदन दाखिल करने के तरीके को मानकीकृत करने और उक्त धारा के तहत क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इसके निपटान के लिए, सीबीडीटी ने 27.07.2023 के परिपत्र संख्या 14 के तहत संबंधित सहकारी चीनी मिलों द्वारा आवेदन करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी की है। इससे दशकों से लंबित आयकर मुद्दों का समाधान हुआ है। इससे उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपये की राहत मिलने की उम्मीद है।

## **10. आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) की धारा 119 की उप-धारा (2) के खंड (बी) के तहत आकलन वर्ष 2018-19 से आकलन वर्ष 2022-23 तक विभिन्न आकलन वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 80 पी के तहत कटौती का दावा करने वाले आय रिटर्न के लिए देरी की माफी**

सीबीडीटी ने 26 जुलाई, 2023 के परिपत्र संख्या 13/2021 के तहत मुख्य आयकर आयुक्तों (CCsIT)/आयकर महानिदेशकों (DGsIT) को उन सहकारी समितियों से विलम्ब की माफी के आवेदनों से निपटने के लिए अधिकृत किया है, जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत नियत तिथि के भीतर आय रिटर्न प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण आकलन वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक के विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आईटी अधिनियम की धारा 80 पी के तहत उपलब्ध कटौती का लाभ उठाने में असमर्थ थे और यह विलम्ब उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों या संबंधित राज्य कानून के तहत नियुक्त सांविधिक संपरीक्षकों द्वारा लेखा की संपरीक्षा में हुई विलम्ब के कारण था।

\*\*\*\*\*